राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालस/2015/4 दिनांक :- 27-02-2015

परिपत्र

विषय – बाल कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। बाल अधिकारों के संरक्षण के बिना उनका सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। उनके सर्वांगीण विकास पर ही देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है इसके बावजूद आजादी के 68 साल बाद भी यह दुखद वास्तविकता है कि अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे भीख मांगते देखे जाते हैं। लगभग हर होटल व रेस्टोरेन्ट में बाल मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। लाखों की संख्या में बच्चे घरेलू नौकर के रूप में जीवन बसर कर रहे हैं। अन्तर्राजीय बाल तस्करी (Child Trafficking) के मामले प्रतिदिन सामने आते रहते हैं। हजारों की संख्या में बाल बन्धुआ मजदूर खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। बाल वैश्यावृत्ति भी जग जाहिर है। 27.5 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सभी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हर मां बाप की अपने बच्चों को आगे बढाने व पढाने की प्राकृतिक इच्छा के बावजूद उनकी आर्थिक तंगी एवं महंगी शिक्षा व्यवस्था के कारण अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। 48 प्रतिशत लडकियां 10 वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोडने पर विवश हैं। 56 प्रतिशत एनेमिक हैं। उनके पास पहनने को साफ व पर्याप्त कपडे भी नहीं हैं। 47 प्रतिशत बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। काफी संख्या में वे शारीरिक ओर यौन प्रताडना सहने पर मजबूर हैं। बढते यौन अपराधों की पृष्ठभूमि में मां बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। जाहिर है हमारे देश में बच्चों की स्थिति बेहद खराब है जिसके रहते विकसित देश की कल्पना मृगमरीचिका है।

यद्यपि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु केन्द्र व राज्य स्तर पर अनेक प्रयास हुये हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बने हुये हैं जिनका कार्य बालकों के विभिन्न अधिकारों को सुनिश्चित करना है। केन्द्र व राज्य स्तर पर बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये अलग से सरकारी विभाग एवं निदेशालय स्थापित है। किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई जैसी संस्थायें मौजूद हैं। अनेकों स्वयंसेवी संगठन तथा यूनीसैफ जैसी प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बाल कल्याण के कार्य में जुटे हुये हैं। बाल श्रम को प्रतिबन्धित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम बना हुआ है तो बाल बन्धुआ मजदूरी को रोकने हेतु बन्धुआ

मजदूर अधिनियम प्रभावी है।

सभी जिलों में बाल बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अलग से टास्क फोर्स बनी हुई है। राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम में पुर्नवास के लिये एक लाख रूपये तक की प्रतिकर राशि की व्यवस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एम0सी0 मेहता, सम्पूर्ण बहरूआ, एक्सप्लोईटेशन आफ चिल्ड्रन इन ऑरफनेजेज इन स्टेट आफ तमिलनाडू बनाम भारत सरकार एवं बचपन बचाओ आंदोलन वाले निर्णयों में बाल कल्याण एवं संरक्षण हेतु उपयोगी दिशा निर्देश दिये हुए हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 से 374 में बाल श्रम व बाल व्यापार को संज्ञेय अपराध बनाया हुआ है। बालकों के कल्याण के लिये समेकित बालसंरक्षण योजना, पालनहार योजना, फोस्टर केयर, बालिका सम्बल योजना, ज्योति योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना, पहल योजना, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, छात्रवृत्ति योजना, आवासीय विद्यालय योजना जैसी अनेकों योजनायें बनी हुई हैं। इन योजनाओं के संचालन के लिये भारी भरकम प्रशासनिक तंत्र मौजूद है फिर भी बालकों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इस प्राधिकरण का दायित्व है कि सघन विधिक साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से आम जन को कानूनी प्रावधानों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जावे एवं इन योजनाओं का लाभ उठाने के क्रम में समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सलाह एवं निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। इन्हीं कानूनी दायित्वों के निर्वहन के क्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बाल अधिकारों के सरंक्षण एवं तत्सम्बंधी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं --

<u>बाल अधिकार एवं बाल कल्याण योजनाओं का सघन प्रचार – प्रसार</u>

समस्त अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले में बाल अधिकार एवं बाल कल्याण योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने हेतु व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 2.7.2012 के अनुसरण में गठित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल अधिवक्ता एवं दो पैरा लीगल वालेन्टियर) को इस कार्यालय द्वारा अलग से भेजी जा रही बाल अधिकार एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली प्रचार सामग्री उपलब्ध करायेंगे और विधिक जागरूकता टीम को प्रतिमाह कम से कम पॉच दिन अलग अलग ग्राम पंचायत मुख्यालय, कच्ची बस्ती, कमजोर वर्ग की बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्र, कालेज, स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भेजेंगे। विधिक जागरूकता टीम विभिन्न स्थानों पर बाल अधिकारों एवं बाल योजनाओं की जानकारी देगी। बाल अपराधों एवं उनके परिणामों की जानकारी देगी। प्रचार सामग्री वितरित करेगी। लोगों की शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करेगी।

विधिक जागरूकता टीम को यदि किसी स्थान पर बाल

श्रम या बाल बन्धुआ मजदूर की स्थिति मिले या कोई बालक किसी अपराध से पीडित अवस्था में मिले तो इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को और निकटतम बाल अधिकारिता विभाग के कार्यालय को तथा टोल फ्री हेल्प लाईन 1098 पर दी जावेगी तथा समुचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अप्रेल, 2015 के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास 7 मोबाईल वैन प्रचार प्रसार के कार्य हेतु उपलब्ध रहेंगी। ये मोबाईल वैन प्रत्येक संभाग में संचालित होंगी जिनका उपयोग यूनीसैफ जैसी संस्था के साथ मिलकर बनाये जाने वाले कार्यक्रमों के अनुरूप किया जा सकेगा। इनके उपयोग की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाकर यथा समय पालनार्थ सूचित की जावेगी।

<u>बाल विवाह की रोकथाम</u>

कई ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से हमारे समाज में बाल विवाह की कुरीति पुरातन काल से प्रचलित है। राजस्थान में ओर विशेषकर पश्चिमी जिलों में यह समस्या और भी गम्भीर है। बाल विवाह के दुष्परिणामों की रोशनी में इस कुरीति को नियन्त्रित करने के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 व अन्य कानून बने हैं। सरकार एवं कई स्वयं सेवी संगठनों ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं लेकिन अभी तक इस समस्या पर अपेक्षित नियन्त्रण नहीं हो पाया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में सभी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला एवं तालुक स्तर पर गठित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल अधिवक्ता एवं दो पैरा लीगल वालेन्टियर) को प्रतिमाह अलग अलग ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, कच्ची बस्तियें में, स्कूलों में एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भेजेंगे। टीम के सदस्य आम लोगों को विवाह की निर्धारित उम्र, बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं इसे रोकने के लिये बनाये गये कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। कानूनी कार्यवाही एवं दण्ड के बारे में विस्तार से बताऐंगे एवं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। यदि कोई व्यक्ति संभावित बाल विवाह की सूचना दे तो बाल विवाह को रोकने के लिये नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (एस0डी0एम0) को सूचना देंगे। यदि कोई नाबालिग अपना बाल विवाह रूकवाना चाहे या बाल विवाह को शून्य कराने की कार्यवाही करना चाहे तो उसे निशुल्क सलाह व विधिक सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

<u>बाल मजदूर/बाल बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास एवं प्रतिकर का संदाय – निशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता</u>

स्थानीय अखबार, टी0वी0 पर या अन्यथा बाल श्रमिक या बाल बन्धक मजदूरों या बाल तस्करी पीडित बच्चे को मुक्त कराने की खबर मिलते ही अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय रिटेनर/पैनल अधिवक्ता/विधिक जागरूकता टीम, जो भी उपलब्ध हो, उसे तुरंत मौके पर

भेजा जावेगा जो मुक्त कराये गये बाल श्रमिक/बाल बन्धुआ मजदूरों को उनके परिवार तक पहुँचाने या राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल गृह में उनका पुर्नवास सुनिश्चित करने में मदद करेंगें। पीडित प्रतिकर स्कीम में देय एक लाख रूपये की राशि, एम0सी0 मेहता केस में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में या अन्य प्रभावी कानून के अधीन देय प्रतिकर राशि दिलाने हेतु आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करेंगे और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस तरह प्रत्येक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके न्याय क्षेत्र में मुक्त कराये गये बाल श्रमिक, बाल बन्धुआ मजदूर या बाल तस्करी पीडित बच्चे उन्हें देय प्रतिकर राशि से वंचित नहीं रहें एवं असहाय अवस्था में नहीं रहें।

प्रत्येक पुलिस थाने में नियुक्त पैरा लीगल वोलेन्टीयर भी यह सुनिश्चित करेगा कि बाल बंधुआ मजदुर को मुक्त करने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पीडित व मुक्त कराये गये बाल बन्धुआ मजदुर को देय एक लाख रूपये की राशि की अदायगी के क्रम में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 के अनुच्छेद 5 (7) में थाना प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है। यदि थाना प्रभारी ने ऐसा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है एवं चालान पेश हो गया है तो संबन्धित रिटेनर/पैनल अधिवक्ता संबन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अंतरिम प्रतिकर हेतु वांछित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन पेश करेंगे।

रिटेनर/पैनल/विधिक जागरूकता टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि मुक्त कराये गये बालकों के सम्बन्ध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं। यदि दर्ज नहीं हुआ है तो मुकदमा दर्ज कराने एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को कानूनी सलाह एवं निशुल्क कानूनी सहायता भी तुरंत उपलब्ध कराई जावेगी।

बाल गृहों की व्यवस्था में सुधार

किशोर न्याय अधिनियम एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले शिशु एवं बालकों के पुर्नवास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेकों बाल गृह संचालित हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी विभिन्न श्रोतों से मिल रहे अनुदान से बाल गृह चला रहे हैं। इनके निरीक्षण व अधीक्षण के लिये प्रशासनिक अमला मौजूद है फिर भी इन बाल गृहों की स्थिति ठीक नहीं है। लगभग सभी बालगृहों में बच्चों की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य, खान पान एवं मनोरंजन की समुचित व्यवस्था नहीं है। कई बाल गृह पंजीकृत नहीं हैं। वास्तविक संख्या में बच्चे नहीं होने के बावजूद फर्जी भुगतान उठाने की शिकायतें भी आम हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण बहरूआ एवं बचपन बचाओ आंदोलन वाले मामलों में पारित निर्णयों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को बाल अधिकार संरक्षण सुनिश्चित करने के क्रम में निर्देशित किया है, अतः प्रभावी कानूनी दायित्वों के निर्वहन

हेतु सभी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने अधीन कार्यरत पूर्णकालिक सचिव को या प्रमुख मजिस्ट्रेट बाल किशोर न्याय बोर्ड को निर्देशित करेंगे कि वे अपने क्षेत्राधिकार में स्थित बाल गृहों का औचक निरीक्षण करेंगे। बाल गृह में मौजूद बच्चों की वास्तविक संख्या का रिकार्ड के हिसाब से सत्यापन करेंगे। साफ सफाई, रख रखाव, खानपान, मनोरंजन के साधन, शिक्षा एवं अन्य निर्धारित सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। बालगृह में रह रहे बालकों को छोडकर आवश्यक फोटोग्राफी करायेंगे। मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे। सम्बंधित बाल गृह के प्रभारी से निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करायेंगे। हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर तत्सम्बंधी नोट डालेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट सम्बंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी जो उसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान बाल संरक्षण आयोग को प्रेषित करेंगे।

विधिक जागरूकता टीम को भी बाल गृहों की स्थिति सुधारने और वहॉ रह रहे बच्चों के कल्याण के काम में लगाने की आवश्यकता है। विधिक जागरूकता टीम को इस काम के लिये प्राधिकृत करने हेतु राज्य सरकार को अनुरोध किया जा रहा है। प्राधिकृत होते ही विधिक जागरूकता टीमों को भी उपरोक्त काम में लगाया जावेगा और उनसे प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट भी पालनार्थ सम्बंधित विभागों को प्रेषित की जावेगी।

बाल कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन

बालकों के विकास एवं कल्याण के लिये अनेकों योजनायें बनी हुई हैं लेकिन उनकी जानकारी एवं आवश्यक कानूनी सलाह व सहायता के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, अतः समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक जागरूकता टीमों को अलग अलग ग्राम पंचायत मुख्यालय, कच्ची बस्ती, कमजोर वर्ग की बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्र, कालेज, स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भेजेंगें जो समस्त बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देने के साथ साथ पात्र बालक या उनके परिजनों को उक्त योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करेंगे, आवेदन के प्रारूप उपलब्ध करायेंगे, आवेदन भरने में उनकी मदद करेंगे, पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे तथा कठिनाई होने पर राज्य प्राधिकरण की हेल्प लाईन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्प लाईन से मदद लेंगे और इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में कोई भी पात्र बालक या परिजन उपरोक्त योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहें।

विधिक जागरूकता टीम का मानदेय

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 8373–8790 दिनांक 2.7.2012 के अनुसरण में उपरोक्त कार्यो के लिये प्रतिदिन के हिसाब से विधिक जागरूकता टीम के पैनल अधिवक्ता को 500/रुपये व पैरा लीगल वोलकन्टियर को 250/रूपये मानदेय प्रदान करें साथ ही उनके द्वारा वाहन की व्यवस्था किये जाने पर 6/रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आवागमन

पर खर्च की गई राशि का भी भुगतान करें।

मानदेय का भुगतान करने के पूर्व सम्बंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पार्षद, स्कूल/कालेज के प्राचार्य, सार्वजनिक स्थल के प्रभारी से निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त करें :–

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विधिक जागरूकता टीम के सदस्य गण 1. ..... 2. .....3. ..... 4. .... (स्थान का नाम) पर उपस्थित हुए और उन्होंने कुल ..... लोगों /बालकों को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी एवं कानूनी सलाह/सहायता प्रदान की।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि बाल अधिकार संरक्षण से जुडे कार्यों के लिये बालकों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को ही काम में लिया जावे। इस परिपत्र में वर्णित योजनाओं के अलावा भी अपने विवेकानुसार वर्तमान में प्रचलित अन्य योजनाओं एवं भविष्य में आने वाली बाल कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में विधिक सेवा संस्थानों के योगदान में कोई कमी नहीं रहे।

विधिक सेवा के एक लिपिक से संलग्न प्रारूप में रजिस्टर का संधारण कराया जायेगा और इसी प्रारूप में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पूरे जिले की मासिक रिपोर्ट भिजवाई जायेगी जिसे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट – बाल अधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में प्रभावी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रकिया एवं प्रचार प्रसार सामग्री की एक पुस्तिका अलग से तैयार की जा रही है जो आपको शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी।

सतीश कुमार शर्मा
सदस्य सचिव

<u>प्रफोर्मा</u>

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.....

बाल अधिकार संरक्षण योजना

क0सं	विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण के नाम	निरीक्षण का स्थान,दिनांक व समय	कार्य का संक्षिप्त विवरण	मानदेय की राशि

27/2/15